संचिका सं0वि0प्रा0।।–नया डिप्लोमा सं0 30/08...../

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

–: संकल्प :–

विषयः– **निजी भूमि दाताओं द्वारा दानस्वरूप प्रदत्त भूमि पर दानकर्त्ता का उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर सरकारी क्षेत्र में तकनीकी संस्थान स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।**

राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण एवं स्वयंसिद्ध है। इसके लिए बाजार की मांग के अनुरूप समसामयिक एवं गुणवत्ता आधारित तकनीकी संस्थानों की स्थापना करना अपरिहार्य है। परन्तु भूमि की अनुपलब्धता संस्थानों की स्थापना में एक बहुत बड़ी बाधा है। उक्त आलोक में भूमि दाताओं से दान स्वरूप प्रदत्त भूमि पर दान कर्त्ता या उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर सरकारी क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों की स्थापना का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए निजी दान कर्त्ताओं से निम्न शर्तों के तहत दान स्वरूप भूमि प्राप्त करने का निर्णय लिया हैः–

(i) वर्तमान में दान स्वरूप भूमि मात्र अभियंत्रण महाविद्यालयों या पोलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना के लिए प्राप्त की जाएगी;

(ii) ऐसे जिलों/स्थानों पर दान स्वरूप भूमि प्राप्त की जाएगी, जहाँ राज्य सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया है;

(iii) इसके लिए ऐसी भूमि प्राप्त की जाएगी जो ऐसे संस्थानों की स्थापना के लिए उपयुक्त हो तथा विवादरहित हो;

(iv) दान स्वरूप प्राप्त होने वाली भूमि का रकबा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हो;

(v) दान स्वरूप प्राप्त होने वाली भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्णय जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन तथा इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा;

(vi) ऐसी भूमि पर स्थापित किये जाने वाली तकनीकी संस्थानों का नामकरण निजी दाताओं या उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जायेगा, बशर्ते कि जिनके नाम से नामकरण का प्रस्ताव हो, उनका चरित्र उत्तम रहा हो;

(vii) तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु न तो दानकर्त्ता का कोई कोटा होगा और न ही तकनीकी संस्थानों के संचालन में उनका कोई अधिकार या हस्तक्षेप होगा। संस्थानों का संचालन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा बिहार सरकार के नियमानुसार प्रावधानों के अनुसार होगा;

(viii) राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमि दान स्वरूप प्राप्त किये जाने का निर्णय लिये जाने पर ही ऐसी भूमि बिहार के राज्यपाल के पदनाम से निबंधित करायी जाएगी।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।**

(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या 2015 /पटना, दिनांक 24-7- /2009

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियॉ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाए।

(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या 2015 /पटना, दिनांक 24-7- /2009

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार/मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, भू–अर्जन एवं राजस्व विभाग,बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप संख्या 2015 / पटना, दिनांक 24-7- /2009

प्रतिलिपि– निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य, अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलीटेक्निक/राजकीय महिला पोलीटेक्निक/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीकृष्ण त्रिपाठी)